Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-136/UP Dated: 18/04/2017

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Government with effect from 01/01/2016 reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/Dearness Relief/1487 dated 17/02/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 38/2016-Gen-3-921/Ten-2016/308/2016 dated 23/12/2016 of Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Government with effect from 01/01/2016 forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other states"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

s/d
Sr. Accounts Officer

9/II/DRSSA/136 PM/2/788/2016-17
24/3/17 18/3/17 523280 14/03/17 PM

442
.03.17.

सत्यमेव जयते

Office of the Accountant General (A&E)-II,UP
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Under Special Seal

Circular No:- Pension (Misc.)/Dearness Relief/ 1487 **Dated:** 17 **/02/2017**

14 MAR 2017

LID-SSADR Dy.-189.

To,

The Accountant General (A&E), Kerala
Thiruvananthapuram.... 695039

Subject:- Implementation of Govt. decision of 7th CPC revision of Pension / Family Pension.

I am forwarding herewith copy of Order:-
No. 38/2016 -Sa-3-921/X -2016/308/2016 dt. 23/12/2016 reg. Implementation of Govt. decision of 7th CPC revision of Pension / Family Pension to U.P.Government w.e.f 01-01-2016, for necessary action please.

Encl:- As stated above

Yours Faithfully,

Accounts Officer/Pension

PM/2
15/3

To M9

20/3/17

Translate to English pls
(Page 3 to 10)
23/3/17
ABO/P19

No- 38/2016-Gen-3-921/Ten-2016/308/2016

From

Ajay Agarwal
Secretary
Government of Uttar Pradesh

To

1- All Chief Secretrary/Secretary, Government of Uttar Pradesh.
2- All Heads of Departments/Heads of Main Offices, Government of Uttar Pradesh.

Finance (General) Section-3

Subject:- Implementation of the decision of state government regarding the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee (2016)– Amendment of the provisions regulating Pension/Gratuity/Commutation of Pension/ Family Pension/Disability Pension/Lump sum Ex-gratia amount.

Sir,

Inviting your attention on the above subject, the undersigned is directed to say that after issuing Resolution no. 62/2016/P.C.-2-2643/X-04(M)/2016 dated 16.12.2016 by the State Government, after due consideration of the recommendations of Part -2 of the first report of Pay Committee, Uttar Pradesh (2016), the Honourable Governor is pleased to order the following amendments in the provisions regulating the provisions of pension/family pension/gratuity and commutation of pension of government employees retired/deceased on or after 01.01.2016.

2.- This order will be applicable to those State Government employees governed by Uttar Pradesh Civil Service Regulations who are entitled to receive pension/family pension and other retirement benefits under Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules 1961, Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules 1961, New Family pension Scheme 1965 GO No. Gen-3-969/X-923/85 dated 08.08.1986 and will retire/decease on or after 01.01.2016. This order will also be applicable to the pensioners receiving pension under Disabled Pension and Extra Ordinary Pension Rules (Except Extra Ordinary Pension of non government persons). But this order will not be applicable to Judges of High Court, Chairman and members of Public Service Commission, non Government employees of Education Department, employees of Local Bodies and Public Undertakings etc.

3-(1) Date of effect

The provisions being made under this order is applicable to those government employees retired/deceased on or after 01.01.2016. Separate orders are being issued regarding the revision pension/ family pension of pre 01.01.2016 retired/deceased government employees.

3-(2)

Revision of pension of those Government servants covered by these orders in whose case sanction of pension/family pension/death cum retirement gratuity and commutation of

a portion of pension has been issued as per the previous provisions, will be done under the procedure mentioned in this order. If the revision of pension/family pension under the procedure mentioned in this order is not beneficial to the pensioner, no such revision will be done in those cases.

4 (1) Emoluments

Emoluments for calculation of pension and other retirement benefits (apart from retirement/death gratuity) means the pay as defined in Fundamental Rule-9(21)(1) and which the employee was receiving immediately before his/her date of retirement or on the date of death.

4(2)

Based on the recommendation of Uttar Pradesh Pay Committee (2016), the basic pay in the revised pay structure means the pay which has been drawn at the fixed level in the pay matrix applicable w.e.f. 01.01.2016, but no other type of pay viz. special pay etc will be included.

4-(3)

For the calculation of retirement/death gratuity the dearness allowance payable on the date of retirement/death will be included in the emoluments.

5-Pension

5-(1)

Under the provisions of Article - 474 Civil service Regulations, pension is not admissible to those Government servants who retire before completing 10 years of qualifying service, but the employees of the above mentioned category shall be eligible for receiving service gratuity as per State Government Rules.

5-(2)

In continuation to the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee (2008), full pension is admissible to the employees retiring on or after 01.01.2016 who have completed 20 years of qualifying service. This provision has been kept the same in the recommendations of Uttar Pradesh Pay Committee (2016). Pension equal to 50 percent of the last pay drawn is admissible to those employees who retire after completing 20 years of qualifying service. If the qualifying service is more than 10 years but less than 20 years then the amount of pension will be reduced proportionally but under no circumstances the amount will be less than ₹9000/- per month.

5-(3)

The minimum amount of pension will be Rs 9000/- per month and the maximum amount shall not be more than 50 percent of the highest pay in the State Government.

5-(4)

Additional pension / family pension received by the old age pensioners/family pensioners will be admissible as earlier as given below :-

Age of pensioner/ family pensioner	Amount of additional pension/ family pension
More than 80 years, but less than 85 years	20% p.m. of basic pension/family pension

More than 85 years, but less than 90 years	30% p.m. of of basic pension/family pension
More than 90 years, but less than 95 years	40% p.m. of basic pension/family pension
More than 95 years, but less than 100 years	50% p.m. of basic pension/family pension
100 years or more	100% p.m. of basic pension/family pension

It will be the responsibility of the Pension Sanctioning Officer to specify the pensioner's date of birth, last post held by the pensioner, pay scale, last pay drawn and average emoluments in the pension authorization letter so as to facilitate the calculation and payment of additional pension from the date of admissibility. The amount of additional pension will be shown separately in the pension authorization letter. For example, if the age of the pensioner is more than 80 years and the amount of pension is Rs. 10000/- p.m., pension will be shown as, (i) Basic pension – Rs. 10000/- (ii) Additional pension Rs.2000/-. On completing the age of 85 years, (i) Basic pension will be – Rs.10000/- and (ii) Additional pension Rs. 3000/- p.m.

6- Calculation of service other than qualifying service

In light of the system of calculation of qualifying service for pension, the provision for including the additional service for the calculation of qualifying service has been ceased w.e.f. 01.01.2006 vide OM No. GI-3-1508/X-2008-308-97, dated 08.12.2008.

7- New Family Pension Scheme, 1965.

7(1)- Similar rate of family pension in the revised pay structure equivalent to 30 percent of basic pay will be sanctioned on the condition that the minimum amount of family pension will be Rs.9000/- p.m. and maximum will be 30 percent of the of the maximum pay of the State Government.

7(2)- Upgraded family pension in the revised pay structure will be 50 percent of the basic pay, the minimum amount of which will be Rs.9000/- and maximum will be 50 percent of the maximum pay in the State Government.

7(3)- Calculation of additional family pension payable to old age family pensioners will be done as per the table given in para – 5 (4).

7(4)- For admissibility of family pension the family will be classified as given below:-

Category-1

(a) To widow/ widower, lifelong or remarriage, whichever is earlier.
(b) To son/ daughter (including widowed daughter) till marriage/remarriage or till the age of 25 years or till the date of livelihood, whichever is earlier.
(c)

Category -2

(f) To unmarried/widowed/divorced daughter, not covered by category-1, till marriage/ remarriage or the date of earning livelihood or till the date of death , whichever is earlier.

(g) Such mother-father who were completely dependent on the deceased Government Servant throughout his life and the Government Servant has not left behind any widow/widower or children.

Dependent mother-father, unmarried/divorced/widowed daughter will receive lifelong family pension.

Admissibility of family pension to the unmarried/widowed/divorced daughter and dependent mother-father covered by category-2 is on the condition that there is no eligible person in the family of the deceased included in category-1 and there is no such child in the family of the deceased Government Servant who is physically challenged. Admissibility of family pension to children will be in the order of their date of birth which means that the child born first will be have first admissibility and the eligibility of the children born later will be established after his/her eligibility ceases.

Unmarried/ widowed/divorced daughter of the retired/deceased pensioners/government employees whether they have been widowed/divorced before or after attaining the age of 25 years, in both conditions family pension will be admissible, but those daughters of the Government servant/pensioner who gets divorced/widowed after the death of the government servant/pensioner, his/her wife/husband, family pension will not be admissible.

7(5)- Payment of family pension to childless widow will be made even after her remarriage but on the condition that if the personal income of the widow becomes equal to or more than the minimum amount of family pension, in such case family pension will be ceased. In the above cases the widow shall submit a certificate to the concerned Treasury every six months mentioning her income from all sources.

7(6)- Family pension will be admissible even after marriage to those physically/mentally challenged children of the retired/deceased Government Servants, who are not capable of earning their livelihood. This provision has been sanctioned with immediate effect i.e. w.e.f. 27.10.2016 vide GO No. 33/2016-GI-3-784/X-2016-308/97 dated 27.10.2016 and those cases will also be covered by it wherein the family pension to physically/mentally challenged children has been ceased after marriage but under these orders, payment of family pension will be admissible with immediate effect i.e. w.e.f. 27.10.2016. Other provisions of the GO dated 06.08.1981 read with GO dated 12.11.1997 will remain as it is.

7(7)- Under the above provision, the basis of dependency for family pension will be the minimum ceiling amount of family pension and dearness relief admissible on it.

7(8)- Family pension at the enhanced rate will be admissible to the family of those government servants who die while in service, for a period of 10 years from the date of death and there will be no maximum age limit for it. In case of death of the pensioner, the benefit of enhanced rates will be admissible upto 7 years from the date of death of the deceased pensioner or upto the age of 67 years of the pensioner, whichever is earlier.

8. Retirement/Death Gratuity

8(1) - The rate of death gratuity will be revised as below :-

Period of Qualifying Service	Rate of Death Gratuity
Less than 1 year	02 times the monthly emoluments
More than one year but less than 5 years	06 times the monthly emoluments
5 years or more but less than 11 years	12 times the monthly emoluments
11 years or more but less than 20 years	20 times the monthly emoluments
20 years or more	Equivalent to ½ of the emoluments for each complete period of 6 months, the maximum ceiling of which will be equivalent to 33 times of the last drawn emoluments or

20 lakhs, whichever is less.

8(2) - The ceiling limit of retirement gratuity and death gratuity will be Rs.20 lakhs. On dearness allowance becoming 50 percent of basic pay, the limit of gratuity will be increased to 25 percent.

9- Commutation of pension

The benefit of commutation of a portion of their pension, the ceiling limit of which will not be more than 40 percent of the amount of pension, is admissible to every Government servant. Restoration of commutated part will be done from the date immediately next to the date of completion of a period of 15 years from date of payment or after 3 months of issuing the PPO, whichever is earlier.

10- Dearness Relief

Dearness relief admissible from time to time on pension and family pension will be payable. Payment of dearness relief will be made at the rate of 0 percent w.e.f. 01.01.2016 and 2 percent w.e.f. 01.07.2016 on the pension/family pension fixed under these orders .

11- Ex –Gratia Lump Sum Compensation

The rates of the amount of Ex- Gratia Lump Sum Compensation granted by the state government to the families of those employees of State Government Civil Service, who die while discharging their duties, are revised as below :-

	Circumstances	Amount (Rupees.)
(a)	Death occurring due to accidents in the course of performance of duties .	25.00 lakh
(b)	Death occurring in the course of performance of duties attributable to acts of violence by terrorists, anti-social elements etc.	25.00 lakh
(c)	Death occurring due to border skirmishes/action against militants, terrorists, extremists or pirates etc.	35.00 lakh
(d)	Death occurring while on duty in the specified high altitude, inaccessible border posts etc on account of natural disasters, extreme weather conditions .	35.00 lakh
(e)	Death occurring as a result of attack by enemy in a war declared by the Ministry of Defense or while evacuating Indians from foreign war zones.	45.00 lakh

As a result of the above referred amendments, the rules/provisions necessary and under the Civil Services Regulations, Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules 1961, Uttar Pradesh Liberalised Pension Rules 1961, Uttar Pradesh Extra Ordinary Pension Rules and New Pension Scheme 1965 shall deemed to be amended and the remaining rules/provisions will remain the same.

12- Procedure for residual payment

(a)- Payment of fixed/refixed retirement benefits under these orders may be made from the month of January 2017, payment of which is to be made in the month of February 2017. Payment of 50 percent of the residual amount payable to the pensioners/family pensioners

पृ-19.
T. R-27

for the period of January, 2016 to December, 2016 will be made in cash in the financial year 2017-18 and the payment of 50 percent will be made in the financial year 2018-19 in the month of October of the concerned year. Payment of residual amount to the pensioners/family pensioners aged 80 years or above will be made in the current financial year itself.

(b)- In case of death of the pensioner/family pensioner before receiving the residual payment, the amount of remaining residual payment (including the amount payable in subsequent years) will be paid in lump sum to the person authorised by the pensioner/ family pensioner or to the legal heir.

Yours faithfully,
Sd/-
Ajay Agarwal
Secretary

No-38/2016-GI-3-921(1)/X-2016/308/19 even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Accountant General (Accounts & Entitlement) I /II, U.P, Allahabad.
2- Prl Secretrary to the Honourable Governor, Uttar Pradesh.
3- Prl Secretrary, Legislative Assembly/Legislative Council, Uttar Pradesh.
4- Registrar General, Honourable High Court, Allahabad.
5- Director, Information and Public Relations Directorate, U.P., Lucknow
6- Director, Pension, Pension Directorate, 8th Floor, Indira Bhawan, U.P., Lucknow
7- Director, Treasury, Jawahar Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow.
8- Director, Financial Management Training & Research Institute, Indira Nagar, Lucknow.

3

संख्या-38/2016-सा-3-921/दस-2016/308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- पेंशन/उपदान/पेंशन की संराशीकरण/पारिवारिक पेंशन/अशक्तता पेंशन/एकमुश्त अनुग्रह राशि का विनियमन करने वाले प्रावधानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016 दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रेच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन कर्मचारियों जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं अन्य सेवानैवृतिक लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनॉक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त/दिवंगत होंगे, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-(1) प्रभावी होने की तिथि -

इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी जो दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा दिवंगत हुए हों। दिनाँक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किये जा रहे हैं।

3-(2)

इन आदेशों से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके मामलों में दिनाँक 01-01-2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर के लिये लाभप्रद न हो, तो ऐसे मामलों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4(1) परिलब्धियाँ

पेंशन एवं अन्य नैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/मृत्यु ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि मूल नियम-9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

4(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन का आशय उस वेतन से है, जो दिनाँक 01-01-2016 से लागू पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित किया गया है किन्तु इसमें अन्य किसी प्रकार का वेतन यथा विशेष वेतन आदि शामिल नहीं होंगे।

4-(3)

सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को देय महँगाई भत्ता परिलब्धियों में सम्मिलित किया जायेगा।

5-पेंशन

5-(1)

सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद-474 की व्यवस्था के अधीन ऐसे सरकारी सेवकों, जो 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने से पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हैं, उन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं होती है, परन्तु उक्त श्रेणी के कार्मिक राज्य सरकार के नियमों के अधीन अनुमन्य सर्विस ग्रेच्युटी पाने के पात्र होंगे।

5-(2)

उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनॉक 01-01-2006 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी अर्हकारी सेवा 20 वर्ष की है, को पूर्ण पेंशन अनुमन्य की गयी है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों में इस व्यवस्था को यथावत् बनाये रखा गया है। जो सरकारी सेवक 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होते हैं, उन्हें अन्तिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य है। यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रू0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

5-(3)

पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह तथा अधिकतम राशि राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन के 50 प्रतिशत प्रतिमाह की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

5-(4)

वृद्ध पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन निम्नानुसार पूर्व की भाँति अनुमन्य रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	**पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि**
80 वर्ष से अधिक परन्तु 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पेंशन प्राधिकार पत्र में पेंशनर की जन्म तिथि, पेंशनर द्वारा धारित अन्तिम पदनाम, वेतनमान, अन्तिम आहरित वेतन एवं औसत परिलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिससे अनुमन्यता की तिथि को अतिरिक्त पेंशन की धनराशि का आगणन एवं भुगतान करने में सुविधा हो। पेंशन प्राधिकार पत्र में अतिरिक्त पेंशन की धनराशि अलग से प्रदर्शित की जायेगी। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

<u>6- अर्हकारी सेवा से अतिरिक्त सेवा की गणना</u>

पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा की गणना व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त सेवा को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में गणना किये जाने की व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308/97, दिनॉक 08-12-2008 द्वारा दिनॉक 01-01-2006 से समाप्त कर दिया गया है।

7- **<u>नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965</u>**

7(1)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में पारिवारिक पेंशन एक समान दर मूल वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर इस प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृत की जायेगी कि पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम राशि रू0- 9000/- प्रतिमांह होगी और अधिकतम राज्य सरकार में उच्चतम वेतन का 30 प्रतिशत होगी।

7(2)- पुनरीक्षित वेतन संरचना में उच्चीकृत पारिवारिक पेंशन मूल वेतन का 50 प्रतिशत होगी, जिसकी न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- तथा अधिकतम राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन का 50 प्रतिशत होगी।

7(3)- वृद्ध पारिवारिक पेंशनरों को देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का आगणन प्रस्तर-5(4) में दी गयी तालिका के अनुसार किया जायेगा।

7(4)- पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु परिवार को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा :-

<u>वर्ग-1</u>

(क)- विधवा/विधुर, आजन्म अथवा पुनर्विवाह, जो भी पहले हो।

(ख)- पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री सहित) को विवाह/पुनर्विवाह अथवा 25 वर्ष की आयु तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि, जो भी पहले हो, तक।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ग-2

(च)- अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो वर्ग-1 से आच्छादित नहीं है, को विवाह/पुनर्विवाह तक अथवा जीविकोपार्जन की तिथि अथवा मृत्यु की तिथि तक, जो भी पहले हो।

(छ)- ऐसे माता-पिता जो सरकारी सेवक पर उनके जीवनकाल में पूर्णतः आश्रित रहे हों तथा मृत सरकारी सेवक के पीछे कोई विधवा/विधुर अथवा बच्चे न हों।

आश्रित माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन जीवनपर्यन्त मिलेगी।

वर्ग-2 से आच्छादित अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्री तथा आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता उसी दशा में होगी जब मृतक के परिवार में उक्त वर्ग-1 में सम्मिलित पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तथा मृतक सरकारी सेवक के परिवार में ऐसी कोई संतान न हो, जो विकलॉग हो। पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता बच्चों को उनकी जन्म-तिथि के क्रम में होगी अर्थात् पहले जन्म लिये बच्चे को अनुमन्यता पहले होगी और उसकी पात्रता समाप्त होने के उपरान्त बाद में जन्म लेने वाले बच्चे की पात्रता स्थापित होगी।

सेवानिवृत्त/मृत पेंशनरों/सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित/ विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को, चाहे उनका वैधव्य/तलाक, उनकी 25 वर्ष की आयु के पूर्व अथवा पश्चात् घटित हुआ हो, दोनों ही दशाओं में, पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी परन्तु ऐसी पुत्रियाँ जो सरकारी सेवक/पेंशनर, उसकी पत्नी/पति की मृत्यु के उपरान्त तलाकशुदा/विधवा होती हैं, को पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं होगी।

7(5)- संतानहीन विधवा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान उसके पुनर्विवाह के उपरान्त भी किया जायेगा परन्तु शर्त यह है कि यदि विधवा की सभी व्यक्तिगत आय पारिवारिक पेशन की न्यूनतम धनराशि की सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक हो जायेगी उस दशा में पारिवारिक पेंशन बंद हो जायेगी। उक्त प्रकार के प्रकरणों में विधवा को संबंधित कोषागार में प्रत्येक 06 माह पर एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें उसकी सभी स्रोतों से आय का उल्लेख होगा।

7(6)- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था शासनादेश संख्या-33/2016-सा-3-784/दस-2016-308/97, दिनॉक 27-10-2016 द्वारा तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य की गयी है तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बंद की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

तत्काल प्रभाव अर्थात् 27-10-2016 से अनुमन्य होगा। शासनादेश दिनॉक 06-08-1981 सपठित शासनादेश दिनॉक 12-11-1997 की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

7(7)- उपरोक्त व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन हेतु आश्रित माने जाने का आधार पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम सीमा राशि तथा उस पर अनुमन्य महँगाई राहत पर निर्धारित होगी।

7(8)- ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी, तथा इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी। पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढी हुई दरों पर पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 07 वर्ष अथवा पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगी।

8- सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी

8(1)- मृत्यु ग्रेच्युटी की दर निम्नानुसार संशोधित की जायेगी :-

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रेच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रू0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

8(2)- सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एवं मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा रू0 20 लाख होगी। महंगाई भत्ता मूलवेतन का 50 प्रतिशत हो जाने पर उपदान की सीमा 25 प्रतिशत तक बढ़ जायेगी।

9- पेंशन का राशिकरण

प्रत्येक सरकारी सेवक को यह सुविधा अनुमन्य होगी कि वह अपनी पेंशन के एक भाग, जिसकी अधिकतम सीमा पेंशन की धनराशि की 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, का राशिकरण करा लें। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भाँति

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनाँक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनाँक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन

एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्सेशन की धनराशि जो ऐसे राज्य सरकार के सिविल सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को देय है, जिनकी मृत्यु अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान हो जाती है उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रदान की आने वाली एक्स-ग्रेशिया की धनराशि की दरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

परिस्थितियाँ		धनराशि(रूपये)
(क)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ख)	कर्तव्य निर्वहन के दौरान आतंकवादियों अथवा असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर	25 लाख
(ग)	सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादियों, आतंकवादियों, अतिवादियों अथवा समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्यवाही के दौरान मृत्यु होने पर	35 लाख
(घ)	विशिष्ठ रूप से चिन्हित ऊँची पहाडियों या दुर्गम सीमा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं या कठिन जलवायु परिस्थिति में कार्यरत होने पर मृत्यु की दशा में।	35 लाख
(ङ)	युद्ध में शत्रुओं के हमले या ऐसे हमले जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाये अथवा भारतीयों को विदेश में युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने के दौरान हुई मृत्यु पर।	45 लाख

उपरोक्त संदर्भित संशोधनों के फलस्वरूप सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश लिब्रलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश असाधारण पेंशन नियमावली एवं नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन तथा आवश्यक नियम/व्यवस्थायें संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष नियम/व्यवस्थायें पूर्ववत रहेंगी।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

205
P19

10

12-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित सेवा नैवृत्तिक लाभों का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-38/2016-सा-3-921(1)/दस-2016/308/16 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in